म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/216/652, भोपाल, दिनांक 26/11/2018

–: परिपत्र :–

विषय :–म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों एवं मंडी समितियों में बिजलेंस चेकिंग हेतु वाहन किराये पर अनुबंधित करने बाबत।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय, तकनीकी संभाग तथा मंडी समितियों में प्रशासकीय कार्य निर्माण कार्य तथा बिजलेंस एवं राजस्व निरीक्षण हेतु अनुबंधित वाहनों का उपयोग किया जाता है। बोर्ड मुख्यालय, संभागीय कार्यालयों के लिए स्वीकृति वाहन शाखा द्वारा एवं मंडी समिति के स्वयं के उपयोग हेतु स्वीकृति शाखा से अनुमति प्राप्त होने पर निजी वाहन को किराये पर अनुबंधित कर उपयोग किया जाता है तथा मण्डी बोर्ड अथवा अन्य कार्यालय स्तर पर निजी वाहनों को किराये पर लेने हेतु कोई स्थाई नीति न होने से अलग–अलग कार्यालय, प्रशासनिक कार्यो के उपयोग के लिए निविदा आमंत्रित कर किराये पर वाहन का अनुबंध कर रहे है, जिसकी दरों में एकरुपता नहीं है।

मंडी समितियों में क्रय–विक्रय एवं वाणिज्यिक संव्यवहार की सतत् निगरानी, नियमन व्यवस्था के प्रभावी कियान्वयन तथा अवैध परिवहन की सघन जॉच हेतु संभागिय कार्यालय एवं मंडी स्तर पर पृथक से कोई वाहन स्वीकृत नहीं होने से इन कार्यालयों मे अनुबंधित वाहनों को ही चैकिंग में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से एक ओर वाहन के अभाव में सघन चैकिंग नहीं होती है, दूसरी तरफ मंडी समितियों के वाहनों का उपयोग करने से मंडी समिति के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कृषि उपज मंडी समिति में राजस्व वृद्वि तथा अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु बोर्ड मुख्यालय/जिला स्तर तथा आंचलिक कार्यालय स्तर पर बिजलेंस कार्यो हेतु किराये पर वाहन अनुबंधित करने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

(1) किराये पर लिये जाने वाली वाहन जीप/बुलेरो ही मान्य होगी। यदि यह वाहन उपलब्ध नहीं होने पर कण्डिका 16 अनुसार वाहन अनुबंधित किया जा सकेगा।

(2) वाहन किराया अनुबंध राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपकमों/कार्यालय द्वारा स्वीकृत वाहनों की मासिक किराये दर (जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. विधुत वितरण कंपनी तथा कलेक्टर कार्यालय) द्वारा स्वीकृत दरों पर वाहन लिया जा सकता है। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक जिलों में दैनिक एवं मासिक आधार पर वाहन की किराये दर (पी.ओ.एल सहित, पी.ओ.एल. रहित) स्वीकृत की गई है, जो जिला स्तर पर वाहन किराये पर अनुबंधित किये जाने के लिये उपयुक्त होगी।

अथवा

संभागीय स्तर पर मुख्यालय, तकनीकी संभाग द्वारा निविदा आमंत्रित कर दर निर्धारित की जा सकती है, परन्तु यह किराया शासकीय विभागों/उपक्रमों तथा कलेक्टर कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगा।

(3) मध्यप्रदेश के ऐसे जिले जिनकी सीमा अन्य प्रदेश से लगी है। वह जिले आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 02 वाहन (1+1) अनुबंध किये जा सकते है। बिजलेंस कार्य में अनुबंध किये गये वाहनों का नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग कार्य का दायित्व संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय का होगा। मंडी बोर्ड, मुख्यालय स्तर पर दो दल गठित होगे जो प्रदेश के किसी भी मंडी में आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगे।

(4) प्रतिदिन वाहनों की लॉगबुक वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जावेंगी और उनके निरीक्षण (वाहन, दुकान सह गोदाम आदि) की जानकारी एक्सेल शीट पर आंचलिक कार्यालय स्तर पर तैयार की जायेगी तथा सात्ताहिक जानकारी मुख्यालय को भेजी जायेगी।

(5) वाहन में निरीक्षण दल की व्यवस्था आंचलिक अधिकारी द्वारा संभागीय जिले की मण्ड़ियो के कर्मचारियो से की जायेगी। जिसमें वाहन चालक के अतिरिक्त न्यूनतम् 02 नियमित कर्मचारी तथा एक सेफगार्ड अधिकतम् 03 कर्मचारी होगे।

(6) निरीक्षण दल द्वारा माह में कम से कम 15 गोदाम/प्रतिष्ठांन/भण्डारण तथा 30 वाहनों का निरीक्षण किया जायेगा। यह संख्या न्यूनतम् है।

(7) मंडियों में अवैध व्यपार/परिवहन और अवैध भण्डारण आदि की सघन जॉच हेतु स्वतंत्र वाहन किराये पर अनुबंध की अनुमति दी गई है। इसलिए निरीक्षण कार्य में ही वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये।

(8) अनुबंध वाहन का उपयोग माह में 24 दिन अनिवार्यतः किया जाये। इससे कम उपयोग होने पर उसका कारण स्पष्ट अंकित किया जायेगा।

(9) अनुबंधित किये गये वाहनों की किराये राशि एवं पी.ओ.एल व्यय मंडी बोर्ड के वाहन बजट मद से स्वीकृत की जायेगी।

(10) जॉच दल द्वारा वसूली गई राशि जिला स्तर पर पृथक खाता खोलकर रखी जायेगी, जिसके लिए पृथक लेजर बुक संधारित होगी तथा इसकी जानकारी प्रति माह आंचलिक अधिकारी द्वारा मुख्यालय को भेजी जावेंगी।

(11) बिजलेंस दलों द्वारा वसूल की गई राशि का उपयोग संबंधित मंडी समितियों के विकास में किया जायेगा।

(12) अनुबंधित वाहन वाणिज्यिक उपयोग का पंजीकृत बीमा तथा वाहन चालक के वैध लायसंस की पुष्टि वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(13) अनुबंधित वाहन अनुबंध अवधि में पूरे समय आंचलिक कार्यालय/मंडी समितियों के अधिपत्य में रहेगा।

(14) जिले में निरीक्षण हेतु अनुबंधित किये जाने वाले वाहनों का मुख्यालय जिला/जिले की मंडी क्षेत्र तथा संभाग के लिए अनुबंध वाहन का मुख्यालय जैसा कि आंचलिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जावेगा के अनुसार नियत होगा।

(15) अनुबंधित वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर एक जिले से दूसरे जिले की सीमावर्ती मंडी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, परन्तु सीमावर्ती जिले की मंडी सीमा के बाहर अन्य जिले में वाहन नहीं भेजा जायेगा।

(16) अगर किसी जिले में उपरोक्तानुसार वाहन (बुलेरो) की अनुपलब्धता की स्थिति में सामान्तर अन्य मॉडल/कंपनी के वाहनों को अनुबंध किया जा सकेगा, परन्तु उसमें मासिक किराये की दरें उपरोक्तानुसार किराये की दरे ही मान्य होगी।

(17) अनुबंधित किये जाने वाले वाहन 2016 से पुराने नहीं होना चाहिए।

(18) वाहन में किसी प्रकार की टुट-फूट एवं दुर्घटना की स्थिति में संपूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

(19) अनुबंध वाहन किसी दिन अपरिहार्य कारणों से वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था वाहन चालक सहित करने का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी होगा। जिसके लिए वाहन स्वामी को किसी प्रकार के भुगतान प्राप्त करने की अधिकारिता/पात्रता नहीं होगी।

(20) अनुबंधित वाहन का उपयोग केवल बिजलेंस कार्य में ही होगा। अन्य निजी कार्यों में उपयोग की जानकारी प्रकाश में आने पर वाहन का मासिक किराया संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से देय होगा।

(21) उपरोक्तानुसार निर्देश परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./बी–6/नियमन/216/653 भोपाल, दिनांक 26/11/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (म.प्र.) भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) जिला ....(म0प्र0)
4. अपर संचालक नियमन/वित्त/सर्तकता मंडी बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (समस्त) आंचलिक कार्यालय ....(म0प्र0)
6. अध्यक्ष/सचिव (समस्त) मण्डी समिति ....जिला ....(म0प्र0)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल